न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 154 / 2017

1 श्रीमती बिमला देवी स्त्री मदनलाल।
2 संदीप कुमार पुत्र मदनलाल।
3 मामराज पुत्र मदनलाल।
4 बृजमोहन पुत्र केशरदेव।
5 श्रीमती सुप्यार देवी स्त्री प्रतीम सिंह।
6 गिरधारीलाल पुत्र किशनलाल।
7 अनिल पुत्र किशनलाल।
8 सुनिल पुत्र किशनलाल समस्त जाति बलाई निवासीगण मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9 पप्पु आयु 14 वर्ष प्रतीम सिंह जाति बलाई निवासी मुकन्दगढ़ नाबालिग जरिये माता श्रीमती सुप्यार देवी स्त्री प्रतीम सिंह जाति बलाई निवासी मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती सुरजी देवी स्त्री भागीरथ।
2 श्रवण कुमार पुत्र भागीरथ।
3 रामरतन पुत्र भागीरथ।
4 मुकेश पुत्र भागीरथ।
5 राजेन्द्र पुत्र भागीरथ।
6 राकेश पुत्र भागीरथ समस्त जाति बलाई निवासीगण मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

7 सावित्री पुत्री मदनलाल स्त्री सुरेश जाति बलाई निवासी मुकन्दगढ़ हाल निवासी ब्राहमणों का बास तन पलसाना जिला सीकर।

8 मनीषा पुत्री मदनलाल स्त्री सुरेश जाति बलाई निवासी मुकन्दगढ़ हाल निवासी कोटड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

9 सरिता देवी पुत्री मदनलाल स्त्री रामनिवास जाति बलाई निवासी मुकन्दगढ़ हाल निवासी सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

10 बजरंगलाल पुत्र केशरदेव।

11 महिपाल पुत्र किशनलाल।

12 महेन्द्र पुत्र किशनलाल समस्त जाति बलाई निवासीगण मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

13 हरिराम पुत्र झाबरराम जाति बलाई निवासी माण्डासी हाल मुकन्दगढ़ मण्डी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

14 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति बलाई निवासी मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

15 तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 18.10.2017
बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी
सुरजी देवी आदि बनाम मृतक मदनलाल वगैरह मुकदमा
नम्बर 72/2008 दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती बंटवारा
एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 24.01.2024

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 72/2008 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 872 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 949/872 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 948/872 रकबा 0.80 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम पबाना तहसील नवलगढ़ में स्थित है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने उक्त जमीन के बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। उक्त वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.10.2017 को प्रारम्भिक रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 872 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 949/872 रकबा 0.59 हैक्टेयर सरहद ग्राम पबाना केशरदेव के वारीसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा जमीन हाल खसरा नम्बर 948/872 रकबा 0.80 हैक्टेयर ग्राम पबाना राजस्व रिकार्ड में किशनलाल के वारीसान के नाम से दर्ज है। जमीन गत खसरा नम्बर 439/1 केशरदेव व किशनलाल द्वारा 5 बीघा खाम जमीन संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर औंकारमल पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी पबाना से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है तथा प्रतिफल राशि केशरदेव व किशनलाल ने औंकारमल को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर अदा की है लेकिन विक्रय पत्र केशरदेव के नाम से पंजीबद्व करवाया है। गत खसरा नम्बर 439/1 में से 5 बीघा खाम जमीन केशरदेव व किशनलाल की अर्जित सम्पति है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के हक में निर्णित करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने सिर्फ उसी जमीन के बाबत दावा पेश किया है जो जमीन केशरदेव व किशनलाल के वारिसान के नाम अलग–अलग खाता में दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने अपने नाम से खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 873 रकबा 0.48 हैक्टेयर राजस्व ग्राम पबाना को दावा में शामिल नहीं कर आदेश 2 नियम 2 जाप्ता दीवानी के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की कानून से विभाजन के दावा में सम्पूर्ण सम्पति को शामिल करना कानूनन आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य को बिना पढ़े तथा पत्रावली का बिना अवलोकन किये राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकी संख्या 2 स्थाई निषेधाज्ञा बाबत बनाई है जो विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 को सिद्व करनी थी। जिस जमीन बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने दावा पेश किया है। उस जमीन की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज नहीं है। कानून से खातेदार काश्तकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा खातेदार के विरूद्व जो व्यक्ति खातेदार नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं ला सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने कानून व राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर तनकी संख्या 2 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के हक में गलत रूप से निर्णित किया है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 अपीलांट्स के विरूद्व तय करने में कानूनी गलती की है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक जमीन हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 0.48 हैक्टेयर ग्राम पबाना रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया। प्रत्येक तनकी का निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित पारित नहीं किया। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के हक में किस आधार पर किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस

Adl

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

में दर्ज नहीं किया। प्रत्येक तनकी का निर्णय स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक तनकी के निर्णय में अपीलांट्स की जवाब देही को नजर अन्दाज किया गया है। अर्जित सम्पति में वादीगण को खातेदार गलत रूप से घोषित किया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 18.10.2017 खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद कथन व जवाब दावें के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक होना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)